जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ (राज.)

(जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर), निम्बाहेड़ा रोड, चित्तौड़गढ़

दूरभाष संख्या :– 01472–294210 ई–मेल :–dlsa10chittorgarh@rajasthan.gov.in

क्रमांक / 2026 / 1771-1775 दिनांक :– 11 / 06 / 2026

प्रेषितिः– अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति, निम्बाहेड़ा / बेंगू / डूंगला / रावतभाटा / राशमी जिला चित्तौड़गढ (राज.)

विषयः– "Community Mediation: Towards a Litigation –Free Rural India" (नारी संवादः सामुदायिक समाधान मंच) कार्यक्रम के तहत जारी विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के संबध में।

सन्दर्भः– माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्र क्रमांक F4(249)/रालसा / मध्यस्थता / नारी संवाद / 2026 / 12218–12261 दिनांक 12.05.2026 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / 2026 / 1466–1470 दिनांक 14.05.2026 के क्रम में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार "Community Mediation: Towards a Litigation –Free Rural India" (नारी संवादः सामुदायिक समाधान मंच) कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसमें तहत आपके ताल्लुका क्षेत्र से एक एक ग्राम पंचायत का चयन कर उन ग्राम पंचायतों में 15–15 सामुदायिक मध्यस्थ के चयन हेतु विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे गये है। जिसकी अंतिम तिथि 25.06.2026 है।

विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर लेख है कि इस विज्ञप्ति का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें तथा विज्ञप्ति में वर्णित अंतिम तिथि तक आवेदन प्राप्त कर प्राप्त आवेदनों की जॉच की जाकर साक्षात्कार हेतु चयनित आवेदनों की सूची दिनांक 29.06.2026 तक इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

संलग्नः– उक्तानुसार

--Sd--
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
चित्तौड़गढ़ (राज.)
दिनांकः– 11/06/2026

क्रमांक / 2026 / 1776-1777
प्रतिलिपी निम्न को प्रेषित हैः–

01. जिला जन संपर्क अधिकारी चित्तौड़गढ को जिला न्यायक्षेत्र में प्रसारित करने हेतु
02. सिस्टम ऑफिसर, ई कोर्ट चित्तौड़गढ को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

11-July Received 12:29

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

(नवीन जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर), निम्बाहेड़ा रोड, चित्तौड़गढ़
दूरभाष संख्या :– 01472–294210 ई–मेल :–dlsa10chittorgarh@gmail.com

क्रमांक/आर–3/आवेदन फार्म/विज्ञप्ति /2026/1766 दिनांक :–11/06/2026

——::विज्ञप्ति::——

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार "Community Mediation: Towards a Litigation&Free Rural India" (नारी संवादः सामुदायिक समाधान मंच) कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को मुकदमा–मुक्त बनाने तथा ग्राम स्तर पर स्थानीय विवादों को आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के सफल एवं सुचारू संचालन के क्रम में जिला न्यायक्षेत्र चित्तौड़गढ में चयनित ग्राम पंचायत रानीखेड़ा ताल्लुका निम्बाहेड़ा, ग्राम पंचायत डूंगला ताल्लुका डूंगला, ग्राम पंचायत राशमी ताल्लुका राशमी, ग्राम पंचायत भैसरोड़गढ ताल्लुका रावतभाटा तथा ग्राम पंचायत डोराई ताल्लुका बेंगू में प्रत्येक के लिये 15–15 सामुदायिक मध्यस्थ (Community Mediators) के रूप में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक, सक्षम तथा योग्य आवेदकों से दिनांक 25.06.2026, तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक व्यक्ति जिस चयनित ग्राम पंचायत/मध्यस्थता केन्द्र में सामुदायिक मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल होना चाहते हैं, वे अपना आवेदन फॉर्म मय वांछित दस्तावेज संलग्न कर संबंधित ताल्लुका विधिक सेवा समिति कार्यालय अथवा इस कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नही किया जायेगा। सामुदांयिक मध्यस्थों के चयन में संबंधित क्षेत्र की सम्मानित, निष्पक्ष एवं प्रतिष्ठित महिलाएं, महिला सरपंच अथवा पूर्व पंच, महिला स्वयं सहायता समूहों की नेता/लीडर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता, अनुभवी पैरा लीगल वॉलंटियर्स, महिला अधिवक्ता एवं महिला शिक्षिकाएं, सेवानिवृत्त महिला सरकारी अधिकारी तथा महिला पुलिस कर्मी, विशेष रूप से समुदाय–आउटरीच (Community Outreach) से जुड़ी हुई प्रतिष्ठित महिलाएं, अन्य इच्छुक एवं योग्य व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

चयन प्रक्रिया एवं प्रशिक्षणः

प्राप्त आवेदनों में योग्य आवेदकों की छटनी एवं चयन एक आधिकारिक चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा, अंतिम रूप से चयनित 15–सदस्यीय समूह में से वास्तविक मध्यस्थता प्रक्रिया संचालन के लिए एक 03–सदस्यीय मध्यस्थता पैनल गठित किया जावेगा। चयनित सदस्यों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार वरिष्ठ मध्यस्थों/मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
चित्तौडगढ़

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

(नवीन जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर), निम्बाहेड़ा रोड, चित्तौड़गढ़
दूरभाष संख्या :– 01472–294210 ई–मेल :–dlsa10chittorgarh@gmail.com

क्रमांक/आर–3/आवेदन फार्म/विज्ञप्ति /2026/ दिनांक :– / /2026

सामुदायिक मध्यस्थ (Community Mediators) हेतु आवेदन–पत्र

आवेदक अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो यहां चिपकाए

- आवेदक का नाम :
 हिन्दी में :–
 अंग्रेजी में :–
- आवेदक के पिता/पति का नाम :
- जन्म तिथि (शब्दों व अंको में):
- गृह जिला:
- ग्राम पंचायत तथा तालुका का नाम, जहां अपनी सेवाएं देना चाहते हैं?

- स्थायी पता :

- वर्तमान पता :

- मोबाईल नम्बर :.....
- ई–मेल एड्रेस (बड़े अक्षरों में):
- कार्यालय का पता :.....
- शैक्षणिक योग्यता (सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित):–

क.स.	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांको का प्रतिशत

- सेवारत आवेदक के लिए सेवा में प्रवेश की तारीख:
- वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए):.....

- अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्त आवेदक के लिए):
- सेवानिवृत्ति की दिनांकः
- (सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)
- बार काउन्सिल में पंजीयन संख्या (विधि व्यवसायी हेतु):
- वकालत का अनुभवः
- अन्य कार्य / व्यवसाय का अनुभवः

क्रंस.	वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

- वर्तमान कार्य / व्यवसाय (Occupation) का विवरणः
- क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं? हाँ / नहीं
- यदि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोजन संस्थित किया गया हो तो उसका विवरण दें:.....
- अन्य विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं पुत्र/पत्नी श्री
घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः

स्थानः.....

नोटः आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति आदेश व आयकर रिटर्न की स्व–सत्यापित प्रतियां संलग्न करें। आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते हैं।